

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3630

उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 11 अगस्त, 2025

20 श्रावण, 1947 (शक)

धनबाद में शिव मंदिर का परिरक्षण

3630. श्री दुलू महतोः

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार धनबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिंशी पहाड़ी पर स्थित 1000 वर्ष पुराने शिव मंदिर को संरक्षित धरोहर घोषित करने पर विचार कर रही है;
- (ख) क्या सरकार इस मंदिर के ऐतिहासिक और स्थापत्य संरक्षण के लिए कोई कदम उठा रही है, ताकि यह भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसका सांस्कृतिक महत्व अक्षुण्ण रहे;
- (ग) क्या इस मंदिर को 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रास्ते, बैठने की जगह, शौचालय, पेयजल व्यवस्था और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;
- (ड.) क्या सरकार इस मंदिर के परिरक्षण और संवर्धन के लिए 'प्रसाद' योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रही है; और
- (च) यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित राशि कब तक उपलब्ध होगी?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के अलावा अन्य स्मारक संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अतः इन मंदिरों के ऐतिहासिक और वास्तुकला परिरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) और (च): पर्यटन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जाँच की जाती है और इसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करने एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
